न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

——

प्रकरण संख्या
21/2021

निर्णय दिनांक
13.06.2022

अनवान

1. कोमलचंद मुतबन्ना गेहरीलाल जाति जैन उम्र वयस्क निवासी भदेसर तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. शांता बाई पत्नि मदनलाल जाति जैन उम्र वयस्क निवासी भदेसर तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. सीमा पुत्री मदनलाल जाति जैन उम्र वयस्क निवासी भदेसर तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4. स्नेहलता पुत्री मदनलाल जाति जैन उम्र वयस्क निवासी भदेसर तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
5. शकुन्तला पुत्री मदनलाल जाति जैन उम्र वयस्क निवासी भदेसर तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
6. सुनीता पुत्री मदनलाल जाति जैन उम्र वयस्क निवासी भदेसर तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
7. कोमलचंद पिता मदनलाल जाति जैन उम्र वयस्क निवासी भदेसर तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

....प्रार्थीगण

।।बनाम।।

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. शांतिदेवी पत्नि शांतिलाल जाति जैन उम्र वयस्क निवासी भदेसर तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

.... विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित– श्री नरेन्द्रसिंह वकिल प्रार्थीगण

उपस्थित– श्री उदयलाल गाडरी वकिल विपक्षी संख्या 02 की और से

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

1. हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तत्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से भु राजस्व अधिनियम 1956 धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के आधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि आराजीयात राजस्व ग्राम भदेसर पटवार हल्का भदेसर की साबिक खाता संख्या 36 में दर्ज आराजी नम्बर 550 रकबा 5 बिस्वा आराजी नम्बर 553/2 रकबा 1 बिस्वा आराजी नम्बर 560/3 रकबा बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 7 बिस्वा कृषि दर्ज रेकार्ड चली आ रही थी। वर्तमान में सेटलमेंट होने से नई खाता संख्या 51 में नये आराजी नम्बर 555 रकबा 0.06 हैक्टयर, आरजी नम्बर 557 रकबा 0.02 हैक्टयर, कुल किता 02 कुल रकबा 0.08 हैक्टयर दर्ज रेकार्ड है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी आधार वर्ष नये व पुराने नक्शा ट्रेस व मिलान क्षेत्रफल संलग्न प्रार्थना पत्र है।

2. यह कि प्रार्थी संख्या 01 के नाम पर दर्ज आराजीयात भूप्रबंधन के दौरान सेटलमेंट कर्मचारियों ने प्रार्थी के हक हिस्से वाली आराजीयात को गेहरीलाल दत्तक पुत्र पन्नालाल के नाम दर्ज कर दी जबकि सेटलमेंट कर्मचारियों को पुरानी प्रविष्ठि को ही दोहराते हुए उक्त आराजीयात कोमलचंद दत्तक पुत्र गेहरीलाल के नाम दर्ज की जानी चाहिए थी इसी प्रकार उक्त साबिक आराजीयात में शांतिलाल को विक्रय कर दिया जबकि साबिक आराजीयात के रेकार्ड में दर्ज थी। इस प्रकार सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा की गई त्रुटि को दुरस्त किया जाकर उक्त आराजीयात के रेकार्ड में गेहरीलाल दत्तक पुत्र पन्नालाल का नाम विलोपित किया जाकर कोमलचंद दत्तक पुत्र गेहरीलाल एवं शांतिलाल पिता पन्नालाल का नाम भी विलोपिता किया जाकर प्रार्थीगण के नाम रेकार्ड में दर्ज कर त्रुटि दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक होने से यह आवेदन पेश है।

3. यह कि प्रार्थीगण साबिक रेकार्ड अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है परन्तु राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि के कारण नाम गलत दर्ज होने प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

अपनी भूमि पर सरकार द्वारा दिये जाने वाले लाभों से वंचित हो रहे जिसमें भी उक्त रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। तथा प्रार्थी ने प्रस्तावित नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

4. यह कि बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 24/06/2021 को राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त करने पर रेकार्ड में हुई त्रुटि की जानकारी होने से वाद कारण पैदा होकर निरंतर जारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया है। पेरोकार सरकार उपस्थित।

लायक अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई जिन्होने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार ग्राम भदेसर पटवार हल्का भदेसर तहसील भदेसर की साबिक खाता संख्या 36 में अंकित साबिक आराजी नम्बर 550 रकबा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 553/2 रकबा 1 बिस्वा, आरजी नम्बर 560/3 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 7 बिस्वा कृषि भूमि दर्ज रेकार्ड चली आ रही थी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिसमें प्रार्थीगण ने साबित कराया गया। वर्तमान में सेटलमेंट होने से नई खाता संख्या 51 में अंकित नये आराजी नम्बर 555 रकबा 0.06 हैक्टयर, आराजी नम्बर 557 रकबा 0.02 हैक्टयर, किता 02 कुल रकबा 0.08 हैक्टयर कृषि भूमि के रेकार्ड से गेहरीलाल दत्तक पुत्र पन्नालाल का नाम विलोपित किया जा कर कोमलचन्द दत्तक पुत्र गेहरी लाल किया जाना उचित था। शांतिलाल पिता पन्नालाल का नाम विलोपित किया जाकर प्रार्थीगण के पिता मदन लाल पिता पन्नालाल नाम रेकार्ड में दर्ज किया जाना उचित है। राजस्व रेकार्ड में शुद्धी किया जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाता है कि ग्राम भदेसर पटवार हल्का भदेसर तहसील भदेसर की साबिक खाता संख्या 36 में अंकित साबिक आराजी नम्बर 550 रकबा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 553/2 रकबा 1 बिस्वा, आरजी नम्बर 560/3 रकबा 1

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 7 बिस्वा कृषि भूमि दर्ज रेकार्ड चली आ रही थी। वर्तमान में सेटलमेंट होने से नई खाता संख्या 51 में अंकित नये आराजी नम्बर 555 रकबा 0.06 हैक्टयर, आराजी नम्बर 557 रकबा 0.02 हैक्टयर, किता 02 कुल रकबा 0.08 हैक्टयर, खाता 51 की आराजी नम्बर 557 रकबा 0.02 हैक्टयर भूमि राजस्व रेकार्ड में रास्ता आराजी नम्बर 558 व आराजी नम्बर 565 की दक्षिणी दिशा की मेंड के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम कि दिशा में तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता है। एवं कृषि भूमि के रेकार्ड से गेहरीलाल दत्तक पुत्र पन्नालाल का नाम विलोपित किया जाकर कोमलचंद दत्तक पुत्र गेहरीलाल तथा शांतिलाल पिता पन्नालाल का नाम विलोपित किया जाकर मदनलाल पिता पन्नालाल के वारिसान प्रार्थीगण संख्या 02 से 07 के नाम शुद्ध किया जाकर खाते में दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड अमल दरामद किया जावें। निर्णय कि प्रति तहसीलदार भदेसर को भिजवाई जावें। निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़